

14/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरात स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधनिक अवधि एक वर्ष बीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबधित धाना प्रभारी से शांति भंग होने सबधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

14/12/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
गोड्डा।

14/12/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
गोड्डा।